

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class,
Narayangarh, District Mandsaur.

Case No. 1025/22
Summary No. 463/22.

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़
जिला मंदसौर मप्र।

----- अभियोगी

बनाम

सुमरसिंह अ. रमेश
उम्र - 28 वर्ष 10 - 36

----- अभियुक्त

[अपराध विवरण]

आज दिनांक 19/10/22 को विरचित

मैं साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़, जिला मंदसौर (म.
प्र.) आप अभियुक्त सुमरसिंह पिता रमेश उम्र 28 वर्ष निवासी-
क विरुद्ध निम्नलिखित अपराध विवरण की विशिष्टियां
निर्मित कर पढ़कर सुनाता समझाता हूँ कि :-

01- आपने दिनांक 10/10/22 को समय 20:00 से 20:15 बजे के दरमियान
36) मंदसौर पुलिस थाना नारायणगढ़, जिला मंदसौर क्षेत्र

अंतर्गत बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में 20 प्लेन/मसाला
शराब रखी या उक्त शराब का परिवहन किया, जो कि धारा 34(1-क) म.प्र. आबकारी
अधिनियम 1915 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता
है।

क्या आप प्रकट करेंगे कि अपराध स्वीकार करना चाहते हो अथवा प्रतिरक्षा करना
चाहते हो।

(साजिद मोहम्मद)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.)

अभियुक्त का अभिवाक:-

अभियुक्त को उक्त अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई गई
तो उसका अभिवाक है कि:-

अपराध स्वीकार है

सुमरसिंह

(साजिद मोहम्मद)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class,
Narayangarh, District Mandsaur.

Case No. 1025/22
Summary No. 463/22

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़
जिला मंदसौर मप्र।

बनाम

----- अभियोगी

मुमसिद स. रमेश
उम - 28 वर्ष नि - 361

----- अभियुक्त

--:: निर्णय ::--

(आज दिनांक 19/10/22 को घोषित)

01. स्वेच्छिक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आवकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जाता है।
02. वर्तमान में लोगों में नशा करने की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को अपराधी परीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाता है।
03. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आवकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
04. प्रकरण में जप्तशुदा शराब विधिवत् नष्ट की जावे।

स्थान -- नारायणगढ़

दिनांक -- 19/10/22

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(साजिद मोहम्मद)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ़ जिला मंदसौर म प्र